MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 6th September, 2017

- S.R.O. 69.—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948), the Central Government is pleased to make the following rules further to amend the Territorial Army Rules, 1948, namely:—
- (i) Short title and commencement These rules may be called the Territorial Army (Amendment) Rules, 2017
- (ii) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Territorial Army Rules, 1964, in rule 14, in clause (c), in the Table, under the heading "Rank", for the letters and words "Lt Col/Colonel", the letters, words and brackets "Lt Col/Colonel/Colonel (TS)" shall be substituted.

[F. No. - 46347/Amdt/R-14/TA-4]

M. P. SINGH, Under Secy.

Footnote – The Principal rules were published in the Gazette of the India, Part II, Section 4 vide S.R.O. – 252A, dated the 12th February, 1949 and was last amended vide SRO 15 dated 10th March, 2010

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2017

का.नि.आ.70.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, संपदा अधीक्षक, सिविल निर्माण काडर, समूह 'ख' पद भर्ती नियम 2016, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- 1.** इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, संपदा अधीक्षक, सिविल निर्माण काडर समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - 2. ये राजपत्र में उनकें प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सिविल निर्माण संवर्ग के संपदा अधीक्षक, समूह 'ख' पदों के भर्ती नियम,
 2016 में,-
- (1) नियम 2 में, शब्दों "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" जहां भी वे विद्यमान हों, के स्थान पर क्रमश: "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;
 - (2) अनुसूची में ;-
 - (i) स्तम्भ (4) में,-
 - (क) शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" रखा जाएगा
 - (ख) स्तम्भ (4) के अधीन, प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400)" रखी जाएंगी,
- (ii) स्तम्भ (11) के अधीन उप शीर्षक 'प्रोन्नति' के अंतर्गत प्रविष्टि "वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु" + ग्रेड वेतन 2800 रु. के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300)" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं.डीएचआरडी/87116/आरआर/सिविल निर्माण'/सी/पी/01/1577/डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

पाद-टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में अधिसूचना संख्या का.नि.या. 8, तारीख 25 फरवरी, 2016 द्वरा प्रकाशित किए गये थे।

(Department of Defence Research And Development)

New Delhi, the 25th August, 2017

- S.R.O.70.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Estate Superintendent of Civil Works Cadre, Group 'B' posts Recruitment Rules, 2016 namely:—
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Estate Superintendent of Civil Works Cadre, Group 'B' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Estate Superintendent of Civil Works Cadre, Group 'B' posts Recruitment Rules, 2016,-
- (1) in rule 2, for the words "pay band and grade pay or pay scale" in both the places where they occur, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;
 - (2) in the Schedule,-
 - (i) in column (4),-
 - (a) for the heading, the heading "Level in the pay matrix" shall be substituted;
 - (b) for the entries under column (4), the entries "level-6" (Rs.35400-112400)" shall be substituted;
- (ii) in column (11) under the sub-heading 'Promotion', for the entries "in Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs.2800", the entries "in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix" shall be substituted.

[F. No.DHRD/87116/RRs/Civil Works/C/P/01/1577/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Footnote: The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-4, vide notification number S.R.O.8 dated 25th February 2016.

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2017

का.नि.आ. 71.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय (भंडारी), 2011 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (भंडारी) संशोधन, भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा मंत्रालय (भंडारी) संशोधन, भर्ती नियम, 2011 में,
 - (क) उप नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

"पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

(ख) अनुसूची में, -

(i) स्तंभ (4) में ;